प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका सं 3540 /2024

1 – शुभाशीष सरकार पिता स्वर्गीय श्री गोपाल चंद्र सरकार, 58 वर्ष , स्थायी निवासी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, खरून, रेल विहार कॉलोनी, फाफडीह, ई–502, सिटी ऑफ ड्रीम्स, कचना रावड़, रायपुर, छत्तीसगढ़

..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य ए.सी.बी./ई.ओ.डब्लू के द्वारा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... **उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :---श्री काशिफ शकील, अधिवक्ता

राज्य हेतु :---श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता तथा सुनीता माणिकपुरी, उप शासकीय अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

19/02/2025

1. याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत तत्काल याचिका दायर की गई है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 03/2021 में पारित दिनांक 07/10/2024 के आदेश पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध के लिए पुलिस थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर (सीजी) में पंजीकृत एफआईआर क्रमांक 17/2020 दिनांक 01.05.2020 के संबंध में वाद चलाया गया है। आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है और उसी के आधार पर विद्वान विशेष

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत आरोप निर्धारित किए हैं।अभियोजन का मामला यह है कि याचिकाकर्ता लोक सेवक होने के नाते लोक कर्तव्य के निर्वहन में रायपुर रेलवे कॉलोनी की साफ–सफाई से संबंधित बिल राशि के भुगतान के बदले में शिकायतकर्ता नीरज सिंह ठाकुर से तीन किस्तों में 1,02,000/– रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ और 30/04/2020 को उसने उक्त राशि में से तीस हजार रुपये ले लिए और अनुचित लाभ प्राप्त किया। मामला विचारण न्यायालय में विचारणाधीन है।

3. वाद के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) के तहत इस आधार पर आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन किया कि पीडब्लू–5 डॉ. जॉय बारला याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी देने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं और याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि मंजूरी एक्स.पी/23 पीडब्लू–5 द्वारा अधिनियम की धारा 19(1)(सी) के तहत जारी की गई है, जिसके लिए प्राधिकारी को पहले आरोपी को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम होना चाहिए था, हालांकि, पीडब्लू–5 ने कहा है कि वह उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है और यह भी कहा कि मामले में उपयुक्त प्राधिकारी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर गौर नहीं किया है कि अवैध मंजूरी के कारण विचारण प्रभावित हुआ है और विचारण जारी रखना न्याय की पूर्ण विफलता होगी, क्योंकि अधिनियम की धारा 19 (1) स्पष्ट रूप से किसी भी न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी लोक सेवक के खिलाफ अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान लेने पर पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध लगाती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि डिस्चार्ज का चरण पहले ही बीत चुका है, तो वह यह कहते हुए आवेदन का निराकरण कर सकता था कि इस चरण में उठाए गए मंजूरी के मुद्दे पर अंतिम बहस के समय विचार किया जाएगा।उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आरोप मुक्त करने का चरण पहले ही बीत चुका है, तो वह यह कहते हुए आवेदन का निराकरण कर सकता था कि इस चरण में उठाए गए मंजूरी के विवाद्यक पर अंतिम बहस के समय विचार किया जाएगा।अपने तर्क के समर्थन में **उन्होंने नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य {(2015) 14 एससीसी 186} और केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अशोक कुमार अग्रवाल {(2014) 14 एससीसी 295}** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया और प्रार्थना की कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07/10/2024 के आदेश को रद्द किया जाए और याचिकाकर्ता को मुक्त करने के लिए आवेदन स्वीकार किया जाए।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि सामग्री और साक्ष्य की सराहना के आधार पर, विचारण न्यायालय ने सही ढंग से आरोपित आदेश पारित किया है और जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर में पंजीकृत एफआईआर क्रमांक 17/2020 दिनांक 01/05/2020 के संबंध में वाद चलाया गया है।उक्त मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध पीसी एक्ट, 1988 की धारा 7 के तहत आरोप निर्धारित किए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक लोक सेवक होने के नाते परिवादी से 1,02,000/– रुपये की अवैध राशि प्राप्त की थी। याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 1988 की धारा 19 (1) के तहत इस आधार पर आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया है कि डॉ जॉय बारला (पीडब्लू–5) याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। उपरोक्त आवेदन को दिनांक 07/10/2024 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूंकि आरोप निर्धारित किया जा चुके हैं और याचिकाकर्ता के विरुद्ध वाद चल रहा है।

8. **रतिलाल भानजी मिठानी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1979 (2) एससीसी 179 में अभिनिर्धारित किया गया है किएक बार आरोप निर्धारित हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट के पास धारा 227 सीआरपीसी या सीआरपीसी के किसी अन्य प्रावधान के तहत आरोप को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।उपर्युक्त निर्णय के कंडिका संख्या 28 को निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"28.एक बार आरोप निर्धारित हो जाने के बाद, मजिस्ट्रेट के पास धारा 227 या संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत आरोप को रद्द करने, कार्यवाही को धारा–253 के चरण में वापस लाने और आरोपी को दोषमुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वारंट मामले में विचारण आरोप निर्धारित होने के साथ शुरू होता है; इससे पहले, कार्यवाही केवल एक जांच होती है। आरोप निर्धारित होने के बाद यदि अभियुक्त दोषी नहीं होने का तर्क देता है, तो मजिस्ट्रेट को धारा–254 से 258 में दिए गए तरीके से तार्किक अंत तक वाद चलाने की आवश्यकता होती है।

9. इसके अलावा **भारत पारीख बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य 2008 (10) एससीसी 109 के** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार आरोप निर्धारित हो जाने के बाद, यदि कोई अभियुक्त दोषी नहीं होने का तर्क देता है तो मजिस्ट्रेट को वाद को उसके तार्किक अंत तक आगे बढ़ाना होता है और उसके पास अभियुक्त को दोष मुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वह अभियुक्त को या तो दोषी ठहरा सकता है या दोष मुक्त कर सकता है।उपरोक्त निर्णय के कंडिका संख्या 17 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:––––––––

"17.इस अपील में उठाए गए दो प्रस्तावों में से, पहले प्रस्ताव का देबेंद्र नाथ पाढ़ी मामले में पूरी तरह से उत्तर दिया गया है, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ आरोप निर्धारित करने के अपने आदेश को वापस लेने की विचारण न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 और 227 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, आरोप निर्धारित करते समय विचारण न्यायालय केवल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर

ही गौर कर सकता है, जबकि अभियुक्त को यह दिखाने का अवसर दिया जा सकता है कि आरोप तय करने के उद्देश्य से उक्त सामग्री अपर्याप्त थी। सतीश मेहरा मामले में दिए गए फैसले को देबेंद्र नाथ पाढ़ी मामले में खारिज कर दिए जाने के बाद श्री देसाई का यह तर्क कि मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के कहने पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मामले को फिर से खोलना चाहिए था, अब मान्य नहीं है।इसलिए, आरोप निर्धारित करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता, भले ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष तथा शीघ्र सुनवाई से इनकार करने के संबंध में तर्क दी गई हों, जिसका इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

10. इस मामले के तथ्यों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि एक बार किसी अभियुक्त के खिलाफ अदालत में औपचारिक रूप से आरोप प्रस्तुत कर दिया गया है, तो इस आधार पर मामले को खारिज करने का अनुरोध कि जिस प्राधिकारी ने "मंजूरी" के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, वह ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं था, की अनुमति नहीं दी जा सकती है और आरोप निर्धारित किए जाने से पहले मंजूरी की वैधता का विवाद्यक उठाया जाना चाहिए था। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि मंजूरी आदेश अनुलग्नक ए/3 के कंडिका 5 से ज्ञात होता है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी याचिकाकर्ता को उसकी सेवा से हटाने के लिए सक्षम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।तदनुसार, वर्तमान दाण्डिक विविध याचिका को खारिज किया जाता है।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur